परिषद के मुख्यालय 104, [illegible]
लखनऊ पर दिनांक 17-7-79 को 11-00 बजे
पूर्वान्ह हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद
की वर्ष-1979 की तृतीय बैठक की कार्य-वृत्त ।

उपस्थित

(1)	श्री बी०जे०खोदायजी		अध्यक्ष
(2)	श्री नेम सिंह चौहान	सदस्य विधान सभा	सदस्य
(3)	श्री दया नन्द व्यास	सदस्य विधान परिषद	सदस्य
(4)	श्री राम औतार दीक्षित	सदस्य विधान परिषद	सदस्य
(5)	श्री त्रिभुवन नारायन सिंह	एडवोकेट	सदस्य
(6)	श्री दिवाकर देव	आवास आयुक्त	सदस्य
(7)	श्री भगवती प्रसाद वर्मा	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०जल निगम	सदस्य
(8)	श्री बी०के०चतुर्वेदी	प्रशासक, नगर महापालिका	सदस्य
(9)	श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।	सदस्य
(10)	श्री एन०सी०बाजपेई	उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।	सदस्य

क्र०सं०	विषय	संकल्प	निर्णय
1	2	3	4
(1)	दिनांक 28-3-1979 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	111/(1)/79	परिषद की दिनांक 28-3-1979 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
(2)	परिषद की बैठक दिनांक 28-3-1979 के [illegible] की अनुपालन	111/(2)/79	परिषद व्दारा बैठक दिनांक 28-3-19 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये:- (1) राम सागर मिश्र नगर योजना लखनऊ में स्थित भूखण्ड को मु करने सम्बन्धी श्रीमती मालती

क्र०प०उ०

1	2	3	4
			के प्रार्थना-पत्र पर गठित समिति द्वारा अतिशीघ्र आख्या दी जाये। (2) 6-एच0पी0सेन रोड, लखनऊ स्थित भूमि एवं भवन को क्रय करने के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय। (3) प्रत्येक ऐसे नगर के लिये जहां पंजीकरण हो चुका है आवासीय योजना हेतु भूमि का चयन तुरन्त किया जाये तथा नियमित रूप से इस की प्रगति की समीक्षा की जाये। (4) भूमि अध्यापन की प्रगति शिथिल चल रही है। इस गति से शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति असम्भव होगी। भूमि अध्यापन की वर्तमान प्रणाली विकेन्द्रित करने हेतु तथा अतिरिक्त भूमि अध्यापन अधिकारियों की नियुक्ति हेतु शासन तथा राजस्व परिषद को पुनः अनुरोध किया जाये। (5) भवनों के साथ-साथ भूखण्ड विकसित करने के लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिये।
(3)	बिलग्राम रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, हरदोई।	111/(3)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गयेः- (1) परिषद अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी की जाये। (2) साथ-साथ हरदोई नगर के लिये पंजीकरण भी प्रारम्भ कर दिया जाये।

ह0प0उ0

[signature]

1	2	3	4
			(3) हरदोई नगर में आवासीय योजना हेतु कोई उपयुक्त नजूल भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं इस की जानकारी प्राप्त की जाये। इस संदर्भ में चीनी मिल के पास नगरपालिका फर्म तथा सिविल लाइन्स में जेल के निकट नजूल भूमि के बारे में सूचना एकत्रित की जाये। (4) जन संख्या सम्बन्धी आंकड़े पुनः सत्यापित कर ठीक कर दिये जाये। (5) Site Selection Commettees के लिये Guide lines तैयार की जाय।
(4)	नगेहटा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हरदोई।	111/(4)/79	परिषद द्वारा उपरोक्त निर्देश देते हुये इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(5)	तुलसीपुर गृहस्थान योजना वाराणसी के सम्बन्ध में नियोजन समिति के निर्णय की पुष्टि।	111/(5)/797	परिषद द्वारा नियोजन समिति के निर्णय की पुष्टि की गई।
(6)	शैलपुरा योजना-2 वाराणसी के अन्तर्गत माधव संस्कृत पाठशाला ट्रस्ट के पक्ष में भूमि का हस्तान्तरण।	111/(6)/79	परिषद द्वारा समिति के निर्णय की पुष्टि की गई।
(7)	रेलवे स्टेशन केन्ट के समीप भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सीतापुर में भूमि खसरा नं०-381-सर्वे प्लाट सं०-65 पर स्थित श्री प्राग नारायण सहगल की दुकानों के बारे में विचार।	111/(7)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(8)	बाराबंकी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1, बाराबंकी।	111/(8)/79	इस विषय पर अग्रिम विचार हेतु परिषद द्वारा इसे अगली बैठक के लिये स्थगित किया गया। काश्तकारों से प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर भी गौर कर लिए जाने का निर्णय लिया गया।

ह०प०उ०

1	2	3	4
	डायमण्ड डेरी गृहस्थान योजना, लखनऊ में श्री हितकारी लाल यादव इत्यादि की छोड़ी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में।	111/(9)/79	परिषद द्वारा उप समिति के निर्णय की पुष्टि की गई।
(10)	माल एवन्यू योजना के अन्तर्गत निर्मित उच्च आय वर्ग के भवनों के आवंटन के सम्बन्ध में।	111/(10)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया।
(11)	माल एवन्यू योजना के अन्तर्गत परिषद द्वारा निर्मित उच्च आय वर्ग भवन सं0-80 का श्रीमती शान्ती व्यास को आवंटन।	111/(11)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव पर बिचार किया गया। श्रीमती शान्ती व्यास उच्च आय वर्ग के प्रथम दौर में पंजीकृत हैं। उन्होंने लाटरी ड्रा की निर्धारित तिथि (23-5-79) से पहले ही आवेदन-पत्र दिया था किन्तु कुछ बिलम्ब के कारण लाटरी ड्रा में उन का नाम सम्मिलित नहीं किया जा सका। पार्क रोड योजना में भी उन्हें भवन प्राप्त नहीं हो सका था क्योंकि पार्क रोड योजना के सम्पूर्ण भवन शासन द्वारा ले लिये गए थे। श्रीमती शान्ती व्यास अनुसूचित जाति की होने के कारण प्राथमिकता की पात्र भी हैं। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये परिषद द्वारा प्रश्न-गत भवन आवेदक श्रीमती शान्ती व्यास को इस शर्त के साथ आवंटित करने का निर्णय लिया गया कि वे न्यायालय में दायर किये गये मुकदमें को बापिस लें।
(12)	राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-2 में दुकानों का निर्माण।	111/(12)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(13)	पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए आरक्षण का प्रश्न।	111/(13)/79	परिषद द्वारा बिचार उपरान्त यह निर्देश दिये गए कि इस विषय पर ब्यूरो से आदेश प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाये।
(14)	सेकण्ड हडको कम्पोजिट हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कीम नं0-7 मेरठ।	111/(14)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि अर्जित भूमि के प्रतिकर भुगतान की कार्यबाही अतिशीघ्र की जाये।
(15)	कम्पोजिट हाउसिंग प्रोजेक्ट देहली रोड स्कीम नं0-1, हरिद्वार।	111/(15)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लाइट एण्ड सर्विस ट्रान्स यमुना एरिया, आगरा।	111/(16)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
परिषद में एक अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक के पद के सृजन के सम्बन्ध में।	111/(17)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
परिषद के योजना क्षेत्र में पड़ने वाले गाँवों एवं योजना के अन्तर्गत रहने वाले पुराने निवासियों को बिजली, पानी एवं जलोत्सारण की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में ।	111/(18)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
निर्माण कार्य की समीक्षा।	111/(19)/79	परिषद द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये:- (1) निर्माणधीन भवनों की प्रगति आख्या में वह स्टेज भी दर्शाई जाय कि कहाँ तक निर्माण कार्य हो चुका है। (2) रीजनल सीमेन्ट आफिसर से 13000 टन सीमेन्ट का आवंटन शीघ्र कराने का प्रयास किया जाये। भविष्य में भी सीमेन्ट तथा कोयले के आवंटन एवं movement के लिये व्यक्तिगत सम्पर्क बनाये रखा जाये। कारगर कार्यवाही के लिये परिषद के ज्येष्ठ अधिकारियों को ही इस काम पर लगाया जाये। (3) जिन योजनाओं से सम्बन्धित भू-उपयोग के मामले विचाराधीन हैं, उनको भी हर स्तर पर Pursue किया जाये क्योंकि भवन निर्माण के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति बहुत हद तक इस पर निर्भर करती है। (4) ईंटों की अनिश्चित सप्लाई की स्थिति को देखते हुये यह उचित होगा कि भविष्य में भट्टे वालों को कोयला देकर ईंटों की सप्लाई पहले से सुनिश्चित कर ली जाये। इसके लिये यदि आवश्यक हो तोcoal co-ordinators के सेवाएं भी उपभोग की जाएं जैसा कि कुछ अन्य संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

कृ०प०उ०

2	3	4
		(5) भवनों के निर्माण हेतु स्टील एवं लकड़ी प्राप्त करने हेतु अभी से योजना बना ली जाये। (6) धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशन उपरान्त प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु नियोजन समिति की बैठकों का कार्यक्रम विस्तार से तैयार कर लिया जाये। (7) प्रत्येक त्रैमास (Quarter)का लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाये तथा उस लक्ष्य के विपरीत प्रगति की समीक्षा विस्तृत रूप से की जाये। (8) मई, 1979 तक पूर्ण भवनों की संख्या 451 तथा निर्माणाधीन भवनों की संख्या 6001 दर्शाई गई हैं। शेष भवनों का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया। यह कार्य तुरन्त प्रारम्भ किया जाये ताकि 31-3-1980 तक निर्धारित लक्ष्य (15000 भवन) की पूर्ति हो सके। (9) अलीगढ़ में दुकानों की माँग अत्यधिक है। अतः प्रर्याप्त संख्या में दुकानों के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल देखें जाये तथा भूमि अधिग्रहण का प्रयास किया जाये। अलीगढ़ के सिविल लाइन्स क्षेत्र में भी मार्केट विकसित करने का प्रयास किया जाये। आवासीय योजना हेतु भी और अधिक भूमि प्राप्त की जाये।
मिश्र नगर ोड, लखनऊ ानि रिहायशी नकलने वाले नष्कासन हेतु	111/(20)/79	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
78 से परिषद सम्परीक्षण हेतु ाक की नियुक्ति ।	111/(21)/79	परिषद व्दारा विचार उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अन्तरिम व्यवस्था के तौर पर परिषद के लेखों के सम्परीक्षण हेतु स्थानीय निकाय लेखा परीक्षक को नियुक्त कर दिया जाये । आवास आयुक्त सम्परीक्षा शुल्क की भी जानकारी प्राप्त कर लें।

पुष्टि की गई
12/9/79
अध्यक्ष 12·9·79